

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधाननियंत्रक
सीमा सड़क भवन, नरायणा देल्ली छावनी - १०

कार्यालय आदेश भाग १ संख्या-135

दिनांक 25/10/2013

विषय :- पूर्व यु एस एस आर को भारत के रुबेल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्बुगतन

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या लेखा/III/7896/ई आर/ओ आर/2013-14 दिनांक 18/10/2013 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (वित्त) (बजट-II) की उपरोक्त विषय से सम्बंधित सूचनाए जो की के र० मं० (वित्त) अ० वि० सं० 230(14)/94/बी-II/खंडा-I दिनांक 26/08/2013 तथा दिनांक 06/09/2013 के आधीन प्राप्त हुई है, जिसकी की प्रति आप के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। आप से आनुरोध है की इसकी प्रतिलिपि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित करे।

कृपया पावती दे।



ले.अधिकारी (लेखा परीक्षा)

फाइल संख्या :- ए०टी०/ब०अर०/१२५/विविध/सिर्कुलर

दिनांक : 1१०/२०१३.

प्रतिलिपि :-

- १) र०ले० नियंत्रक (सि०स) गुवाहाटी.
- २) र०ले० संयुक्त नियंत्रक (सि०स०) चंडीगढ़.
- ३) वेतन लेखा कार्यालय (ग्रेफ) पुणे.
- ४) मुख्या कार्यालय इ०डी०पि अनुभाग वेब साईट अपडेशन हेत.



ले.अधिकारी (लेखा परीक्षा)



कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-110010.
दूरभाष सं-011-25665548, 25665736/37, 25665583/84, र.ले.सं.म.नि (लेखा एवं बजट)
दूरभाष: 011-25665614, फ़ैक्स: 011-25674786, 25674819

लेखा0/111/7896/इ आर/ओ आर/2013-14


दिनांक: 18 .09.2013

सेवा में,

र. ले. प्र.नि./ र.ले.नि.

विषय: पूर्व यू एस एस आर को भारत के रूबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) (बजट-11) की उपरोक्त विषय से संबंधित सूचनाएँ जो कि के र0 मं0 (वित्त) अ0 वि0 सं0 230(14)/94/बी-11/खंड-1 दिनांक 26.08.2013 तथा दिनांक 06.09.2013 के अधीन प्राप्त हुई है, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है।


व0 लेखा अधिकारी (लेखा)

रक्षा मंत्रालय (वित्त)
(बजट-11)

AIC

विषय: पूर्व यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान - विशेष मुद्रा बास्केट (16 मुद्राओं) के रुपया मूल्य में परिवर्तन।

भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ने अपने दिनांक 08.08.2013 के फैक्स द्वारा यह सूचित किया है कि विशेष मुद्रा बास्केट (16 मुद्राओं) के रुपया मूल्य को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है:-

रुपया मूल्य

83.45023

से प्रभावी

12.08.2013

2. उपर्युक्त परिवर्तन को रुपया मूल्य के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए नोट किया जाए।
3. विशेष मुद्रा बास्केट (16 मुद्राओं) के लिए रुपए के नए मूल्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है 30 अप्रैल, 1981 एवं 23 दिसंबर, 1985 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार करारों के सभी विलंबित भुगतानों पर लागू है।
4. कृपया, उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित विशेष मुद्रा बास्केट दरों के कारण होने वाले भुगतानों तथा तदनुसार संशोधित देयताओं की गणना की जाए।

535
16/8



सुधीर चंद्र
सं. वित्त/बजट (वित्त/बजट)

1. रक्षा मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव 2. सभी अपर वि०स०/ वि०प्र०
3. सभी निदेशक/30वि०स० 4. निदेशक (पी एंड सी), डीपीपी
5. एडीजीएफपी-3 6. डीएनपी (नौसेना मुख्यालय), 7. निदेशक(एफपी)/वायुसेना मुख्यालय
8. ए सा आई डी एस (एफपी)/ आई डी एस मुख्यालय 9. सीसीआर एंड डी/डीआरडीओ

र०मं०(वित्त)अ०वि०स० 230(14)94/2006बी-11/खंड-1 दिनांक 6.9.2013

प्रति निम्नलिखित को भी भेजी जाती है:

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी ।
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक मुख्यालय, नई दिल्ली ।
3. सेना मुख्यालय में एम जी ओ पीपीओ-4 ।
4. नौसेना मुख्यालय में डी एस ए क्यू ।
5. वायुसेना मुख्यालय में डीडीएफपी ।
6. सदस्य (वित्त) आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता ।
7. वरिष्ठ संधारिकी अधिकारी एआरसी (वायुसेना विंग) ब्लाक-V, (पूर्व), आर०के०पुरम, नई दिल्ली-110066
8. ओ-2पी अनुभाग, कमरा संख्या 14, साउथ ब्लाक ।
9. प्रधान लेखा निदेशक (निर्माणी) 10-ए, एस०के०बोस मार्ग, कोलकाता ।
10. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल नासिक ।
11. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल लखनऊ ।

A/C

अति तत्काल

रक्षा मंत्रालय (वित्त)
बजट-11

विषय: पूर्व यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान ।

संदर्भ: रक्षा मंत्रालय (वित्त) अ0वि0सं0 230(14)/94/बी-11/खंड-1/दिनांक...13.8.2013...

मुम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 22.8.2013 के फैक्स द्वारा यह सूचित किया है कि एस डी आर बास्केट दर पर रुपए का मूल्य, (जोकि पूर्ववर्ती यू एस एस आर को भारत के रुबल मूल्य वर्ग के ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए लागू है) जो 93.2355 रुपए था और 12.8.2013 से प्रभावी है, को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया है:-

एस डी आर 1 = 97.1528 रुपए 23.8.2013 से प्रभावी

2. भारत सरकार और रूसी फेडरेशन सरकार के बीच 29 जनवरी, 1993 को हुए करार के पैरा 7 की शर्तों के अनुसार ऋण के गैर पुनःअधिसूचित (नॉन-रिशिड्यूल पोर्शन) भाग के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में कृपया इस दर को उल्लिखित तारीख से प्रभावी समझा जाए ।

53 L
15/9

सुधीर चंद्र
(रक्षा मंत्री जी. आर. जाणा)

सहायक वित्तीय सलाहकार (बजट)

1. रक्षा मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव
2. रक्षा मंत्रालय (वित्त) के सभी अपर वि0स0/वि0प्र0/निदेशक/30वि0स0
3. निदेशक (पी एंड सी), डीपीपी, रक्षा मंत्रालय
4. एडीजीएफपी-3 (सेना)
5. डीएनपी (नौसेना मुख्यालय),
6. डीएफपी (वायुसेना मुख्यालय)
7. आई डी एस मुख्यालय, कश्मीर हाऊस

र0मं0(वित्त)अ0वि0सं0 230(14)94/बी-11/खंड-1 दिनांक 26.08.2013

प्रति प्रेषित: वि0स0(र0से0) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(ईएसडब्ल्यू) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(डीपी) के प्रधान निजी सचिव

प्रति निम्नलिखित को भी भेजी जाती है:

1. निदेशक (ईई), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।
2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी ।
3. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक मुख्यालय, नई दिल्ली ।
4. सेना मुख्यालय में एम जी ओ पीपीओ-4 ।
5. लेखा अधिकारी (पीएसवी), साउथ ब्लाक ।
6. वायुसेना मुख्यालय में डीडीएफपी ।
7. सदस्य (वित्त) आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता ।
8. वरिष्ठ संचारिकी अधिकारी एआरसी (वायुसेना विंग) ब्लाक-V,(पूर्व), आर०के०पुरम, नई दिल्ली-110066
9. ओ-2पी अनुभाग, कमरा संख्या 14, साउथ ब्लाक ।
10. प्रधान लेखा निदेशक (निर्माणी) 10-ए, एस०के०बोस मार्ग, कोलकाता ।
11. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल नासिक ।
12. लेखा अधिकारी (र०ले०वि०), एचएएल लखनऊ ।

AKC

10

Most Immediate

Ministry of Defence (Finance)
Budget-II

Subject: Repayment of India's Rouble Denominated Debt to the former USSR.

Reference: MoD (Fin) ID No. 230 (14)/94/B-II/Vol.-I dated 13.8.2013.

R.B.I. Mumbai vide their Fax dated 22.8.2013 have informed that the rupee value of the SDR Basket Rate (which is applied for the repayment of India's Rouble denominated debt to the former USSR) which was Rs. 93.2355 effective from 12.8.2013, has been revised as given below:-

SDR 1 = Rs.97.1528 effective from 23.8.2013

2. This rate may please be taken into account effective from the date mentioned above in respect of repayments of Principal and interest of the Non- Rescheduled portion of the debt in term of Para 7 of the Agreement dated January 29, 1993 signed between the Government of India and the Government of the Russian Federation.



(S.C. Jana)

A.F.A (Budget)

1. All Joint Secretaries in MoD. 2. All Addl FAs/FMs/ Directors/DFA in MoD (Fin) 3. Director (P&C), DDP, MoD 4. ADGFP -3 (Army)
5. DNP (Naval HQrs) 6. DFP (Air HQrs) 7. HQrs IDS, Kashmir House
MoD (Fin) I.D. No. 230 (14)/94/B-II/Vol-I dated 26.08.2013

Copy to :- PPS to Secy (Defence Finance), PPS to Secy (ESW), PS to SS (DP), PS to AS (M)

2403

Copy also to :

1. Director (EE), Deptt. of Economic Affairs,
Ministry of Finance.
2. CGDA; Ulan Batar Road, Palam
Delhi Cantt.
3. PCDA Hqrs, New Delhi.
4. MGO PPO-4 in Army Headquarters.
5. DSAQ in Naval Headquarters.
6. DDFP in Air Headquarters.
7. Member (Fin) OFB, Kolkata.
8. The Senior Logistic Officer ARC (Air Wing)
Block – V, (East), R.K. Puram, New Delhi- 66
9. O-2 P Section, 14 South Block.
10. Principal Director of Accounts (Fys).
10-A, S.K. Bose Road, Kolkata.
11. AO (DAD), HAL Nasik.
12. AO (DAD), HAL Lucknow.